आर.सी.एम.एस. नम्बर 2016/00035

(आदेश 20 के नियम 6 व 7 जाब्दा दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मुकाम बईजलास मलसीसर जिला झुंझुनूं (राज0)

पीठासीन अधिकारीः— चन्द्र प्रकाश वर्मा
(आर.ए.एस.)

दावा बाबत घोषणार्थ एवं रिकार्ड दुरूस्ती

अंन्तिम डिक्री मुकदमा इब्तदाई

मुकदमा नम्बर :— 54/2016 (रामजीवन बनाम गोदा उर्फ गोरा वगैरह)

निर्णय दिनांक :— 31.07.2024

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रूबरू, चन्द्र प्रकाश वर्मा (आर.ए.एस.), उपखण्ड अधिकारी, मलसीसर बहाजिरी वकील वादीगण मिनजानिब मुद्दई रूबरू वकील प्रतिवादीगण मनजानिब मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व अन्तिम डिक्री दी जाती है कि

मुकदमा में न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 31.07.2024 द्वारा पारित निर्णयानुसार ग्राम झटावा कला पटवार हल्का झटावा खुर्द स्थित भूमि गत खसरा नम्बर 142 रकबा 8 बीघा 9 बिश्वा जिसके हाल ख0न0 286/334 रकबा 0.01 है0, ख0न0 289 रकबा 1.12 है0, ख0न0 290 रकबा 0.10 है0, ख0न0 300 रकबा 0.91 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 2.14 है0 भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 गोदा पत्नी रूघा का नाम हजफ कर रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 23.12.1974 के तहत वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना—अपना वहन करेंगें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

बसक्त मेरे दस्तखत व मुहर आदलत से आज तारीख 31.07.2024 को जारी की गई।

(चन्द्र प्रकाश वर्मा)
उपखण्ड अधिकारी,
मलसीसर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मलसीसर

पीठासीन अधिकारी : चन्द्र प्रकाश वर्मा
(आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या 54/2016 (GCMS NO. 2016/00035)

रामजीवन सिसियांवाला पुत्र जोधराज जाति ब्राहमण निवासी मलसीसर तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनू।

वादी

बनाम

1. गोदा उर्फ गोरा पत्नी रूघा जाति दरोगा निवासी मलसीसर जिला झुन्झुनू। (मृतक)
2. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार मलसीसर जिला झुन्झुनू।
3. हर आम एवं खास

प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणार्थ एवं रिकार्ड दुरूस्ती

विद्वान अधिवक्ता वादी – श्री राजकुमार गढ़वाल
विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादी –

निर्णय

निर्णय दिनांक 31.07.2024

संक्षेप में वादी की ओर से प्रस्तुत वाद पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम झटावा कला पटवार हल्का झटावा खुर्द स्थित भूमि गत खसरा नम्बर 142 रकबा 8 बीघा 9 बिश्वा हाल ख0न0 286/334 रकबा 0.01 है0, ख0न0 289 रकबा 1.12 है0, ख0न0 290 रकबा 0.10 है0, ख0न0 300 रकबा 0.91 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 2.14 है0 भूमि अवस्थित है। उक्त वर्णित भूमि गोदा उर्फ गोरा की खातेदारी भूमि थी। गोदा उर्फ गोरा ने दिनांक 23.12.1974 को उक्त भूमि गत खसरा नम्बर 142 रकबा 8 बीघा 9 बिश्वा सम्पूर्ण भूमि का विक्रय पत्र वादी के हक में उप पंजीयक झुन्झुनू के यहां तस्दीक करवा दिया। विक्रय पत्र के आधार पर उक्त भूमि का राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद वादी के हक में होना चाहिये था परन्तु नहीं हुआ। वादी उक्त भूमि का जरिये विक्रय पत्र दिनांक 23.12.1974 से खातेदार काश्तकार है। इसलिये वादी उक्त भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित करवाने का अधिकारी है एवं इसी भांति राजस्व रिकार्ड भी दुरूस्त किया जाना न्याय संगत है। अन्त में वाद वादी स्वीकार फरमाया जाकर भूमि गत खसरा नम्बर 142 रकबा 8 बीघा 9 बिश्वा हाल ख0न0 286/334 रकबा 0.01 है0, ख0न0 289 रकबा 1.12 है0, ख0न0 290 रकबा 0.10 है0, ख0न0 300 रकबा 0.91 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 2.14 है0 भूमि का वादी को मुताबिक विक्रय पत्र दिनांक 23.12.1974 के खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा राजस्व रिकार्ड को दुरूस्त फरमाया जावे।

प्रतिवादी संख्या 1 गौदा उर्फ गोरा के पति रूघा की मृत्यू विक्रय पत्र तस्दीक से पूर्व हो चुकी थी। विक्रय पत्र के पश्चात गौदा उर्फ गोरा भी ग्राम मलसीसर छोड़कर चली गई। इनके अन्य कोई वारिसान नहीं होने से हर आम खास को दावा में पक्षकार बनाया गया है। दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण हर आम खास को जरिये सार्वजनिक सूचना एवं जरिये अखबार इस्तिहार जारी कर आपत्ति एतराज प्राप्त किये गये। प्रतिवादी हर आम खास की तामिली विधिवत पूर्ण होने के पश्चात भी किसी प्रकार का कोई आपत्ति एतराज प्राप्त नहीं हुआ ना ही कोई उपस्थित हुआ। सुनवाई हेतु पर्याप्त अवसर देने के उपरांत भी अपना पक्ष नहीं रखते है या उपस्थित नहीं होते है तो यह मानकर कि वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र के अनुसार सिद्वि दिये जाने में उन्हे कोई उजर एतराज नहीं है, उनके विरूद्व आदेश 9 नियम 6 के तहत EXPARTY मानकर एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा सकती है। प्रकरण में विधिवत तामिल होने के पश्चात भी प्रतिवादी संख्या 3 हर आम खास की ओर से अपना पक्ष नहीं रखने पर उन्हें EXPARTY मानकर एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

प्रतिवादी संख्या 2 तहसीलदार मलसीसर ने अपना जवाब दावा पेश किया जवाब दावे में वादी के वाद के बिन्दु संख्या 2 लगायत 5, 12 को स्वीकार करते हुये राजस्व की हानि न होने पर दावा डिक्री किये जाने में कोई आपत्ति नहीं होना जाहिर किया।

जवाब देही पूर्ण होने के पश्चात वादी की ओर से अपने वाद पत्र के समर्थन में अपना स्वयं का शपथ पत्र पेश किया।

जवाब देही एवं साक्ष्य पूर्ण होने पर बहस विद्वान अधिवक्ता श्रवण की गई। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता वादी ने वाद पत्र के तथ्यों को दोहराया एवं वादी द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 23.12.1974 से क्रयशुदा भूमि जिसके हाल ख0न0 286/334 रकबा 0.01 है0, ख0न0 289 रकबा 1.12 है0, ख0न0 290 रकबा 0.10 है0, ख0न0 300 रकबा 0.91 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 2.14 है0 में प्रतिवादी संख्या 1 का नाम हजफ कर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित कर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त फरमानें का निवेदन किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। वादी की ओर से भूमि गत खसरा नम्बर 142 रकबा 8 बीघा 9 बिश्वा जो वादी द्वारा दिनांक 23.12.1974 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रय की गई थी, जिसके हाल ख0न0 286/334 रकबा 0.01 है0, ख0न0 289 रकबा 1.12 है0, ख0न0 290 रकबा 0.10 है0, ख0न0 300 रकबा 0.91 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 2.14 है0 है, सम्पूर्ण भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त करने का अनुतोष चाहा गया है। वादी-द्वारा क्रयशुदा भूमि जो उप पंजीयक झुन्झुनू के यहां दिनांक 23.12.1974 को तस्दीक हुआ है, का नामान्तरकरण वादी के नाम दर्ज नहीं हुआ है क्रयशुदा भूमि पर वादी काबिज काश्त है इसकी पुष्टि तहसीलदार के जवाब से होती है। हर आम खास की ओर से कोई आपत्ति एतराज पेश नहीं हुआ है। समस्त तथ्यों, साक्ष्य सबूतों एवं उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर वाद वादी स्वीकार किया जाना उचित एवं न्यायोचित प्रतीत होता है।

निर्णय

अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर ग्राम झटावा कला पटवार हल्का झटावा खुर्द स्थित भूमि गत खसरा नम्बर 142 रकबा 8 बीघा 9 बिश्वा जिसके हाल ख0न0 286/334 रकबा 0.01 है0, ख0न0 289 रकबा 1.12 है0, ख0न0 290 रकबा 0.10 है0, ख0न0 300 रकबा 0.91 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 2.14 है0 भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 गोदा पत्नी रूघा का नाम हजफ कर रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 23.12.1974 के तहत वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो एवं बाद तक़मील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 31.07.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(चन्द्र प्रकाश वर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
मलसीसर